न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 03/2022 G.C.M.S. No. 2022/1 दर्ज दिनांक : 05.01.2022

अपीलार्थिगण:

1. शंभूसिंह पुत्र फतेहसिंहजी
2. दलपतसिंह पुत्र फतेहसिंहजी
   जातिगण राजपूत निवासीगण भीटवाड़ा, तहसील बाली जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. घीसुसिंह पुत्र चिमनसिंहजी जाति राव निवासी भीटवाड़ा, तहसील बाली जिला पाली।
2. मृत धनसिंह पुत्र फतेहसिंह के कायम मुकामः—
   2/1 पारसकंवर पत्नि धनसिंह
   2/2 मृत जसवंतसिंह पुत्र धनसिंह के विधिक वारिसानः—
   2/2/1 श्रीमती पिंटूकंवर पत्नि जसवंतसिंह
   2/2/2 वंशिका सिंह पुत्री जसवंतसिंह उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता रेस्पोंडेंट संख्या 2/2/1
   2/2/3 जागृतिकंवर पुत्री जसवंतसिंह उम्र 11 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता रेस्पोंडेंट संख्या 2/2/1
   2/3 रेणुकंवर पुत्री धनसिंह
   समस्त जातिगण राजपूत निवासी भीटवाड़ा तहसील बाली
   2/4 प्रेमकंवर पुत्री धनसिंह पत्नी नरेन्द्रसिंहजी जाति राजपूत निवासी 157, पदमावती कॉम्लेक्स भुआणा, उदयपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.10.2020 जिसे उपखंड अधिकारी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 28/2018 बअनवान घीसुसिंह बनाम शंभूसिंह वगैरह एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित—

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 27.01.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.10.2020 जिसे उपखंड अधिकारी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 28/2018 बअनवान घीसुसिंह बनाम शंभूसिंह वगैरह के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 457 व 458 में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 446 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। चूंकि अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील नहीं करवाई गई एवं बिना तामील ही गलत तरीके से तामील मानकर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए बिना अपीलांट्स को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट्स के नोटिस रेस्पोंडेंट संख्या दो धनसिंह द्वारा प्राप्त करना बताया गया है। रेस्पोंडेंट संख्या दो धनसिंह अपीलांट्स से अलग रहते हैं। अपीलांट्स के नोटिस लेने हेतु रेस्पोंडेंट संख्या दो धनसिंह न तो अधिकृत है एवं न ही अपीलांट्स के शामिल रहता है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों से परे जाकर अपीलांट्स की तामिली मान ली गई। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोंडेंट घीसुसिंह द्वारा खसरा संख्या 457 व 458 को स्वयं की खातेदारी भूमि मानते हुए आवेदन पेश किया था। उपरोक्त रेस्पोंडेंट घीसुसिंह की अन्य खातेदारी भूमि खसरा संख्या 447 व 451 व अन्य खसरान की भूमि स्थित है। खसरा संख्या 447 से चिपता हुआ रेकर्डेड रास्ता (सरकारी रास्ता) खसरा संख्या 685 स्थित है। ऐसी स्थिति में जब रेकर्डेड रास्ते से खातेदारी भूमि चिपती हुई भूमि स्थित हों तो अन्य रास्ते की या नये रास्ते की मांग न तो की जा सकती हैं व न ही ऐसा रास्ता प्रदान किया जा सकता है। रेस्पोंडेंट घीसुसिंह ने उक्त तथ्य को छुपाया है एवं खसरा संख्या 447 से लगाकर 476 तक की खातेदारी भूमि उक्त रेस्पोंडेंट घीसुसिंह व अन्य परिवारजनों की खातेदारी की रही हैं। बाद में विभाजन होने के बाद अलग–अलग व्यक्तियों के खाते में अलग–अलग खसरा की भूमि दर्ज हुई हैं। जिस खसरा संख्या 457 व 458 के लिए रेस्पोंडेंट घीसुसिंह ने आवेदन पेश किया, उसमें घीसुसिंह का केवल चौथा हिस्सा है। शेष तीन हिस्से अन्य खातेदारों के हैं, जिनको जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया है। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 446 अपीलांट की खातेदारी भूमि है, किंतु उसकी किस्म पहले से ही गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से उक्त धारा 251–क के तहत प्रकरण विधिक रूप से पोषणीय नहीं हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट द्वारा धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को विधिवत तामील नहीं करवाई तथा न ही साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया तथा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया है। नोटिस रेस्पोंडेंट संख्या 2 धनसिंह द्वारा प्राप्त करना बताया गया। लेकिन धनसिंह व अपीलांट अलग रहते हैं। राशनकार्ड की फोटोप्रति पेश है। अधिवक्ता श्री अमृतलालजी द्वारा प्रेषित विधिक सूचना–पत्र दिनांक 30.11.2021 अपीलांट दलपतसिंह को दिसंबर के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ। जिस पर दिनांक 28.12.2021 को नकल प्राप्त होने पर प्रथम बार जानकारी हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 2021 डीएनजे पेज 1060 अनुसार दिनांक 15.03.2020 से दिनांक 02.10.2021 तक की अवधि को कोविड–19 के कारण माफ किया गया है। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से न्यायहित में माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

अपील अपीलांट म्याद के बिंदु पर विनिश्चय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 को प्रेषित सम्मन रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा प्राप्त किए जाने का अंकन है तथा इसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे विधिवत तामील मानी गई हैं। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत परिवार राशनकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि शंभूसिंह व दलपतसिंह एक ही परिवार के सदस्य नहीं हैं तथा न ही ये रेस्पोंडेंट संख्या 2 के पारिवारिक सदस्य है। अपीलांट्स की उम्र 60 वर्ष से भी अधिक है। अतः ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा दोनों अपीलांट्स की ओर से सम्मन प्राप्त करना, विधिवत तामील की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अतः यह धारणा किये जाने का पर्याप्त आधार है कि अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थीं तथा अपीलाधीन निर्णय अपीलांट्स की जानकारी के बिना पारित हुआ है साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार दिनांक 15.03.2020 से दिनांक 02.10.2021 के मध्य की अवधि को परिसीमा अवधि की दृष्टि से माफ किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर तथा लापरवाहीपूर्वक विलंब कारित किया जाना साबित नहीं होता है। अतः न्यायहित में विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त मानते हुए माफ किया जाता है

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

2. चूंकि यह सुस्थापित है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स पर समुचित तामील नहीं हुई हैं तथा अपीलांट्स को प्रकरण में अपना पक्ष–पोषण करने के लिए समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खसरा संख्या 457 व 458 जिसके लिए प्रार्थी घीसुसिंह द्वारा रास्ते की मांग की गई हैं, उक्त आराजी प्रार्थी घीसुसिंह की सहखातेदारी भूमि है तथा प्रकरण में अन्य सहखातेदारान द्वारा रास्ते की मांग नहीं की गई हैं।

4. अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन निर्णय पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 28/2018 बअनवान घीसुसिंह बनाम शंभूसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.10.2020 को अपास्त करते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में पत्रावली प्राप्त होने के 60 दिवस के भीतर गुणावगुण के आधार पर विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.03.2025 को असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। अपीलांट्स को पाबंद किया जाता है कि वह दिनांक 03.03.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में आवश्यक रूप से जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

27/01/25

(डॉ0 [illegible] बिश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली